कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

* अंत्यंत दुर्लभ प्रजाति के लाल तिलकधारी कछुओं (Red-crowned Roofed Turtle) की अंतरराष्ट्रीय तस्करी मामले में अपराधी शेखर दास और मोहम्मद सुल्तान की अपीलें माननीय अपर सत्र न्यायालय सागर द्वारा खारिज कर दोनो की सजा को बरकरार रखा*

प्रेस विज्ञप्ति (51/26, दिनांक 11.08.2026)

माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश के निर्देशन में प्रदेश में वन एवं वन्यजीव संरक्षण हेतु लगातार समग्र प्रयास किये जा रहे है। इसी दिशा में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF), मध्यप्रदेश को अंत्यंत दुर्लभ जलीय जीवों तस्करी प्रकरण में बडी सफलता प्राप्त हुई है। दुर्लभ एवं विलुप्तप्राय वन्यजीवों के अवैध व्यापार के खिलाफ की गई प्रभावी कार्रवाई को माननीय अपर सत्र न्यायालय सागर ने पूरी तरह सही ठहराया है। माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सागर ने आरोपी शेखर दास (निवासी 24 परगना, पश्चिम बंगाल) एवं मोहम्मद सुल्तान (निवासी कोलकाता, पश्चिम बंगाल) की अपीलों क्रमांक 31/2022, एवं 32/2022 को खारिज करते हुए माननीय विशेष न्यायालय सागर द्वारा दी गई सजा एवं अर्थदंड को बरकरार रखा है।

वर्ष 2017 में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स और वन विभाग की संयुक्त टीम ने राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य/पारिस्थितिकी तंत्र क्षेत्र से दुर्लभ 'लाल तिलकधारी कछुओं' (Red-crowned Roofed Turtle) तथा पैंगोलिन शल्क की तस्करी का पर्दाफाश किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपीगण एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का हिस्सा थे, जो चंबल नदी से इन दुर्लभ कछुओं को संग्रहित कर कोलकाता और भारत-बांग्लादेश सीमा के माध्यम से विदेशों में अवैध तस्करी करते थे। आरोपियों द्वारा अवैध वित्तीय लेनदेन (हवाला कारोवार) और वन्यजीव तस्करी का नेटवर्क चलाया जा रहा था।

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों, बयानों और जांच रिपोर्टों के आधार पर स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स सागर के लिए अधिकृत **माननीय विशेष न्यायालय सागर ने दिनांक 29-03-2022 से दोनों आरोपियों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (संशोधन 2022) के उल्लंघन का दोषी पाते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹10,000-₹10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई थी।** अपीलीय न्यायालय (माननीय सत्र न्यायालय सागर) ने स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा की गई विवेचना और प्रस्तुत साक्ष्यों को तथ्यपरक मानते हुए निर्णय दिया कि माननीय विशेष न्यायालय सागर के फैसले में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। **माननीय सत्र न्यायालय सागर ने दोनों आरोपियों की अपीलें निरस्त कर उन्हें 3 वर्ष की सजा भुगतने हेतु केंद्रीय जेल सागर भेजने के आदेश जारी किए हैं।**

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल